न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद–91 / 2015

कारु राय वगैरह.....वादीगण

बनाम

लालवती देवी वगैरह.....प्रतिवादीगण

09.02.24 अभिलेख आज प्रतिवादी सं0–3 ता 9 तथा 17 एवं 18 की ओर से दाखिल प्रतिवादपत्र में संशोधन हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–10.11.2023 तथा उसके तत्संबंधित वादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–24.11.2023 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में प्रतिवादीगण ने निवेदन किया है कि प्रतिवादी की गवाही तैयारी के समय पता चला कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रतिवादपत्र में सम्यक तत्परता बरतने के बाद भी कुछ गलत तथ्य टंकित हो गया है जिसे सुधार किया जाना आवश्यक है। संशोधन स्वीकृत होने से वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृत करते हुए प्रतिवादपत्र में सुधार किए जाने की कृपा प्रदान की जाए। प्रतिवादी का संशोधन सं0–1 में प्रतिवादपत्र के पृष्ठ सं0–8 में अंकित 7वॉ पंक्ति में शब्द "थी" के आगे का कथन " लेकिन प्रार्थी प्रतिवादीगण के पिता ने ममता वश व पारिवारिक सौहार्द बनाए रखने हेतु उपरोक्त अपने नाम से खरीदगी वाली भूमि में भी सवों को हिस्सा दिया" को काट दिए जाने तथा संशोधन सं0–2 में प्रतिवादपत्र के पृष्ठ सं0–17 में अंकित चौथा पंक्ति में शब्द " हुए" के आगे का कथन " तथा प्रार्थी पतिवादी के पिता ने अपने स्वंय अर्जित भू–भाग को भाई के प्यार में अपनी भूमि में से भी हिस्सा दिया " को काट दिए जाने का निवेदन किया गया है।

अपने प्रत्युत्तर में वादी ने निवेदन किया है कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है एवं खारिज किए जाने योग्य है। वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन परन्तुक से बाधित है, चूँकि वादी का साक्ष्य पूर्ण हो चुका है एवं प्रतिवादी साक्ष्य हेतु चला आ रहा है जिसे लंबित रखने के लिए वर्तमान संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। वर्तमान संशोधन के द्वारा प्रतिवादी स्वीकृत तथ्यों को विलोपित करना चाहते हैं जिसे विलोपित करने का अधिकार प्रतिवादी को नहीं है। प्रतिवादी का संशोधन आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। अतः प्रतिवादी का प्रस्तावित संशोधन खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु कई तिथियों से लंबित चला आ रहा है। प्रतिवादी का प्रस्तावित संशोधन प्रतिवादपत्र के पृष्ठ सं0–8 में अंकित 7वॉ पंक्ति में अंकित तथ्यों तथा प्रतिवादपत्र के पृष्ठ सं0–17 में अंकित तथ्यों में सुधार से संबंधित है जो औपचारिक प्रकृति का है। प्रतिवादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है एवं प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृत किया जाना विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रस्तावित संशोधन को वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से 14 दिनों के भीतर प्रतिवादपत्र में अपना प्रस्तावित संशोधन दर्ज करते हुए अगली निश्चित तिथि से साक्ष्य देने हेतु सदेह उपस्थित रहें।

वाद दिनांक– 16-02-2024 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश
पटोरी